राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8315/2022

विश्नी पत्नी नरेंद्र कुमार मीना, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी पाखर-द्वितीय, (द्वितीय) तहसील मंडावर जिला दौसा

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुथरी देवी पत्नी हरिकिशन, उम्र लगभग 78 वर्ष, निवासी जेतपुर, तहसील मंडावर जिला दौसा राजस्थान
2. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जिला दौसा
3. रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन सरपंच, ग्राम पंचायत सायपुर पाखा पंचायत समिति महवा तहसील मंडावर जिला दौसा-जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जिला दौसा के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री कमलाकर शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रेम चंद देवंदा, श्री राहुल यदुवंशी द्वारा सहायता प्रदान की गई श्री मोलिक पुरोहित
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री राजेंद्र प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, ने सहायता की सुश्री हर्षिता ठकराल और श्री दीपक कुमार शर्मा श्री दीपक मीना द्वारा श्री शैलेश शर्मा, एजीसी

माननीय न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह

आदेश

रिपोर्टेबल

16/02/2023

जिला न्यायाधीश दौसा, जिला दौसा (इसके बाद इसे "विद्वान ट्रायल कोर्ट" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा पारित दिनांक 25.05.2022 के निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ता (बाद में इसे "हारा हुआ उम्मीदवार" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा यह रिट याचिका दायर की गई है। प्रत्यर्थी संख्या 1 मुथरी देवी (इसके बाद चुनाव याचिकाकर्ता के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर चुनाव याचिका (संख्या 61/2020) की अनुमति दी गई और सरपंच पद के लिए 28.09.2020 को हारे उम्मीदवार का चुनाव हुआ। ग्राम साईपुर पाखर पंचायत समिति महवा तहसील, मंडावर जिला दौसा को अलग कर दिया गया और चुनाव याचिकाकर्ता को उपरोक्त ग्राम पंचायत का निर्वाचित सरपंच घोषित कर दिया गया।

रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम साईपुर पाखर पंचायत समिति महवा तहसील, मंडावर जिला दौसा में सरपंच पद के लिए चुनाव 28.09.2020 को हुआ था, जिसके लिए कुल 9 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा और चुनाव लड़ा। चुनाव, जिसमें चुनाव याचिकाकर्ता और हारे उम्मीदवार शामिल हैं। वोटों की गिनती के बाद, चुनाव का परिणाम उसी दिन अर्थात 28.09.2020 को घोषित किया गया, जिसमें चुनाव याचिकाकर्ता को 590 वैध वोट मिले और हारे उम्मीदवार को 701 वैध वोट मिले, जो इस प्रकार चुनाव जीत गया और सरपंच के रूप में चुना गया।

व्यथित होकर, चुनाव याचिकाकर्ता ने इस आधार पर विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की कि निर्वाचित उम्मीदवार उक्त चुनाव लड़ने के लिए पूर्व-अयोग्यता होने के कारण सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है। कट-ऑफ तिथि अर्थात 28.11.1995 के बाद तीन बच्चे, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (इसके बाद इसे "1994 का अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 19 (एल) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर उसे अपात्र मानते हैं। हारे उम्मीदवार के तीन बच्चों के विवरण के बारे में यह भी बताया गया कि उनका पहला बच्चा (दीनदयाल) का जन्म वर्ष 2000 में, दूसरे बच्चे (राहुल) का जन्म वर्ष 2002 में और तीसरे बच्चे (सचिन) का जन्म हुआ था। वर्ष 2005 में और इस कारण से चुनाव याचिकाकर्ता ने निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को रद्द करने की प्रार्थना की।

चुनाव याचिका की सूचना दिए जाने के बाद, हारे उम्मीदवार द्वारा एक उत्तर दायर

किया गया था जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि हारे उम्मीदवार के तीन बच्चे हैं, लेकिन कट-ऑफ तिथि के बाद तीसरा बच्चा होने के कारण पात्र होने के संबंध में यह कहा गया था उनका दूसरा और तीसरा बच्चा जुड़वाँ हैं, जिनका जन्म 20.08.2002 को हुआ था, इसलिए, तीसरे बच्चे को एक अलग इकाई के रूप में नहीं गिना जा सकता है और वास्तव में वे एक इकाई हैं और ऐसा होने पर, धारा 19 के खंड (ठ) में निहित प्रावधान 1994 का अधिनियम लागू नहीं है और वह 1994 के अधिनियम के तहत सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र थी और उसने चुनाव याचिका खारिज करने की प्रार्थना की।

पक्षों की दलीलों के आधार पर, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पांच मुद्दे तय किए, जो इस प्रकार हैं:-

> 1. आया प्रत्यर्थी संख्या-1 के दिनांक 28.11.95 के बाद 3 संताने पैदा होने के कारन वो ग्राम पंचायत सायपुर पाखर के सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थी, परन्तु उसने अपने नाम निर्देशन पत्र में सन्तानो की जन्मतिथि की घोषणा के सम्बन्ध में धोखाधड़ी करके मिथ्या विवरण अंकित करके व् झूठा सपथ-पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ देकर चुनाव लड़ा है, इस कारन से प्रत्यर्थी संख्या-1 का निर्वाचन बटोर सरपंच शून्य घोषित किये जाने योग्य है एवं याचिकाकार सरपंच पद पर निर्वाचन घोषित किये जाने योग्य है?
>
> याची
>
> 2. आया प्रत्यर्थी संख्या-1 के तीन पुत्रो में बड़े पुत्र दीनदयाल का जन्म सन 2000 में हुआ है, उससे छोटे पुत्र राहुल का जन्म सन 2006 में हुआ है, परन्तु प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार करके अपने दोनों पुत्र राहुल व सचिन को जुड़वॉ बताकर अपने नाम निर्देशन पत्र में अपने बच्चो की संख्या कुल-2 दर्शाते हुए धोखाधड़ी व मिथ्या कथन करते हुए नाम निर्देशन पत्र भरा है और गलत रूप से अपने पुत्र सचिन व राहुल दोनों की जन्मतिथि 20.08.2002 अंकित की है?
>
> याची
>
> 3. आया प्रत्यर्थी संख्या-1 ने अपने सरपंच पद के नामांकन फार्म में अपनी तीनो सन्तानो का विवरण अंकित किया है, जिसमे सबसे बड़े पुत्र दीनदयाल की जन्मतिथि 01.07.2000 व सचिन व राहुल का जन्म जुड़वॉ प्रसव के रूप में होने के कारन उनकी जन्मतिथि 20/08/2002 अंकित करते हुए नामांकन फार्म में जुड़वॉ सब्द अंकित किया है, जो सही अंकित किया है एवं उनका विधिक तरीके से चुनाव लड़ा है?
>
> ..अयाची संख्या-1
>
> 4. आया याचिका में सभी पराजित उम्मीदवारों को पक्षकार नहीं बनाये

जाने के कारन चुनाव याचिका ख़ारिज किये जाने योग्य है?

..अयाची संख्या-1

5. अनुतोष क्या होगा?

अपने मामले के समर्थन में चुनाव याचिकाकर्ता ने पी.ब्लू.-1-मुथरी देवी, पी.ब्लू.-2-देवकीनंदन, पी.ब्लू.-3-रामकिशन मीना, पी.ब्लू.-4-जसवंतराम मीना, पी.ब्लू.-5-वीरेंद्र कुमार शर्मा और पी.ब्लू.-6-के साक्ष्य प्रस्तुत किए। नेतराम मीना ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-1 से प्रदर्श-12ए भी प्रस्तुत किया। विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपने प्रतिवाद के समर्थन में लौटी उम्मीदवार ने डीडब्ल्यू-1-विष्णी, डीडब्ल्यू-2- बनवारी लाल, डीडब्ल्यू-3- राम प्रसाद मीना, डीडब्ल्यू-4- चंगाराम मीना, डीडब्ल्यू-5- रामस्वरूप के साक्ष्य प्रस्तुत किए और डीडब्ल्यू-6-प्रभु दयाल और प्रदर्श-NA1/1A के रूप में चिह्नित दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रदर्श-NA1/12 को प्रस्तुत किए। इसके बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने पक्षों के साक्ष्य दर्ज करने और उनकी दलीलें सुनने के बाद चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में मुद्दा संख्या 1 और 2 का निर्णय किया और हारे गए उम्मीदवार के चुनाव को रद्द कर दिया और मुद्दा संख्या 3 का भी निर्णय किया। हारे उम्मीदवार के खिलाफ अंतिम आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने चुनाव याचिकाकर्ता को ग्राम साईपुर पाखर पंचायत समिति महवा तहसील मंडावर जिला दौसा का निर्वाचित सरपंच भी घोषित किया है। इसलिए, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिनांक 25.05.2022 को पारित निर्णय से व्यथित होकर, वर्तमान रिट याचिका हारे उम्मीदवार द्वारा दायर की गई है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमलाकर शर्मा का कहना है कि अंतिम तिथि के बाद हारे गए उम्मीदवार के तीसरे बच्चे का जन्म, जिसे विद्वान ट्रायल कोर्ट ने हारे गए उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने का एकमात्र आधार माना है, सही नहीं है। तथ्य यह है कि हारे उम्मीदवार की दूसरी और तीसरी संतान जुड़वां हैं और उनका जन्म 20.08.2002 को हुआ है और धारा 19 के खंड (ठ) के स्पष्टीकरण (झ) के मद्देनजर, यदि जुड़वां बच्चे एकल गर्भावस्था से पैदा होते हैं, तो वे इसे एक इकाई के रूप में गिना जाएगा और इस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा कि इस संबंध में विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष उपरोक्त प्रावधान के बिल्कुल विपरीत है। अपनी दलीलों के समर्थन में वरिष्ठ अधिवक्ता ने कुछ दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, 10$^{वीं}$ कक्षा का प्रमाणपत्र, स्कूल प्रवेश फॉर्म और साथ ही एस.आर. को अवलोकन के लिए रखा।

रजिस्टर में उनके बेटों सचिन और राहुल की जन्मतिथि 20.08.2002 दर्ज की गई है और प्रस्तुत किया गया है कि दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि उनके दोनों दूसरे और तीसरे बच्चे जुड़वां हैं, जिनका जन्म 20.08.2002 को हुआ था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे कहते हैं कि पूर्वगामी प्रस्तुतियों के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि मुद्दे संख्या 1, 2 और 3 पर विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत और बिल्कुल बिना सोचे-समझे हैं, क्योंकि यह गलत और गैर-कानूनी है। हारे उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत मौखिक और साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया गया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि चुनाव याचिकाकर्ता को ग्राम साईपुर पाखर पंचायत समिति महवा तहसील मंडावर जिला दौसा का निर्वाचित सरपंच घोषित करने के संबंध में विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश भी रद्द किए जाने योग्य हैं क्योंकि प्रश्न में चुनाव बहुकोणीय था। चुनाव लड़ा और इस चुनाव में न केवल चुनाव याचिकाकर्ता बल्कि हारे उम्मीदवार सहित आठ अन्य उम्मीदवारों ने भी भाग लिया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष हारे उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज 2020 में हुए चुनाव की तारीख से बहुत पहले जारी किए गए थे और हारे उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए सार्वजनिक दस्तावेजों पर विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा ठीक से विचार नहीं किया गया था। इसके विपरीत, ट्रायल कोर्ट के समक्ष चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा जिस दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया था, उसमें ओवरराइटिंग है और उसने रिट याचिका को अनुमति देने की प्रार्थना की है।

दलीलों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **बृज मोहन सिंह बनाम प्रिया ब्रत नारायण सिन्हा और अन्य** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया। **एआईआर 1965 एससी 282** में प्रकाशित, जिसमें पैरा संख्या 18 से 21 तक, इसे निम्नानुसार माना गया है:-

> **18.** हमारी राय में, यह दस्तावेज़ वास्तविक है और वह पुस्तक है जिसे चौकीदार ने वर्ष 1934 से 1936 के दौरान अपने इलाका में जन्मों को नोट करने के लिए रखा था। इसमें प्रविष्टि 15 अक्टूबर को सरजू सिंह के बेटे के जन्म को दर्शाती है। हालाँकि, 1935 से अपीलार्थी को कोई सहायता नहीं मिल सकती जब तक कि यह प्रविष्टि साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य में स्वीकार्य न हो। यदि यह प्रविष्टि चौकीदार द्वारा स्वयं की गई होती तो यह प्रविष्टि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत प्रासंगिक होती। हालाँकि, माना जाता है कि चौकीदार ने इसे स्वयं नहीं

बनाया था। श्री अग्रवाल ने हमें यह समझाने की कोशिश की कि जब कोई अनपढ़ लोक सेवक स्वयं प्रविष्टि करने में असमर्थ होता है और वह किसी और से प्रविष्टि करा लेता है तो इसे लोक सेवक द्वारा की गई प्रविष्टि माना जाना चाहिए। इस तर्क को खारिज किया जाना चाहिए. किसी लोक सेवक द्वारा किसी सार्वजनिक या अन्य आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर, या रिकॉर्ड में किसी विवादित तथ्य या किसी प्रासंगिक तथ्य को बताते हुए की गई प्रविष्टि को प्रासंगिक क्यों बनाया गया है, इसका कारण यह है कि जब एक लोक सेवक अपने अधिकारी के निर्वहन में स्वयं ऐसा करता है कर्तव्य, इसके सही और सही ढंग से दर्ज होने की संभावना अधिक है। यह संभावना तब न्यूनतम हो जाती है जब लोक सेवक स्वयं अशिक्षित हो और उसे प्रवेश के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता हो। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय का यह मानना सही है कि अनपढ़ चौकीदार द्वारा बनाए गए आधिकारिक रिकॉर्ड में उसके अनुरोध पर किसी और द्वारा की गई प्रविष्टि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत नहीं आती है। यह सुझाव नहीं दिया गया है कि प्रविष्टि साक्ष्य अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत साक्ष्य में स्वीकार्य है। इसलिए अपीलार्थी की उम्र के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हाथ-चिट्ठा में प्रविष्टि को विचार से बाहर रखा जाना चाहिए।

19. याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी की ओर से तीन दस्तावेजों पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी। 2, प्रदर्श 8 और प्रदर्श 18. इनमें से पहला औरंगाबाद टाउन स्कूल का प्रवेश रजिस्टर है जहां अपीलार्थी ने 19 जनवरी, 1946 को एक छात्र के रूप में अपना प्रवेश लिया था। रजिस्टर में उसके प्रवेश के संबंध में प्रविष्टि में जन्म तिथि 15 अक्टूबर, 1937 दिखाई गई है। और उम्र आठ वर्ष, तीन महीने और तीन दिन। दूसरा प्रदर्श (प्रदर्श 8) 26 अगस्त, 1959 को पुलिस उप-निरीक्षक के पद के लिए अपीलार्थी द्वारा किया गया एक आवेदन है। यहां भी जन्मतिथि 15 अक्टूबर 1937 दिखाई गई है। तीसरा दस्तावेज प्रदर्श 18 है। यह मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणपत्र है। इसमें जन्म तिथि भी 15 अक्टूबर 1937 बताई गई है।

20. पूर्व की स्वीकार्यता के संबंध में श्री अग्रवाल द्वारा हल्की सी आपत्ति उठाई गई थी। इस आधार पर कि रजिस्टर कोई आधिकारिक रिकॉर्ड या सार्वजनिक रजिस्टर नहीं है। इस प्रश्न पर इस तथ्य पर विचार करना अनावश्यक है कि वास्तव में प्रवेश रजिस्टर में ऐसी प्रविष्टि की गई थी जिसमें अपीलार्थी की जन्मतिथि 15 अक्टूबर, 1937 दिखाई गई थी, जिसे उसके द्वारा हमेशा से स्वीकार किया गया है। उनका मामला यह है कि यह उस व्यक्ति के अनुरोध पर दिया गया गलत बयान था जो उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाने गया था। यह अनुरोध किया गया था, यह सुझाव दिया गया है, कि उसे वास्तव में उसकी तुलना में दो वर्ष छोटा दिखाया जाए ताकि बाद में जीवन में सार्वजनिक सेवा की

मांग करते समय उसे लाभ हो, जिसके लिए पात्रता के लिए न्यूनतम आयु अक्सर निर्धारित होती है। अपीलार्थी का मामला यह है कि एक बार प्रवेश रजिस्टर में यह गलत प्रविष्टि हो जाने के बाद इसे अनिवार्य रूप से मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में आगे बढ़ाया गया और पुलिस उप-निरीक्षक के पद के लिए आवेदन में भी इसका पालन किया गया। इस स्पष्टीकरण को चुनाव न्यायाधिकरण ने स्वीकार कर लिया था लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे अविश्वसनीय बताकर खारिज कर दिया था। सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने में लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से उम्र का गलत विवरण देने के ऐसे कृत्य की चाहे कोई कितनी भी निंदा करे, तथ्यों का एक न्यायाधीश इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि वास्तविक जीवन में ऐसा अक्सर नहीं होता है। हमारे लिए यह कहना असंभव है कि चुनाव न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने में गलती की थी। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि स्पष्टीकरण बहुत हद तक सच हो सकता है और इसलिए न्यायालय के लिए अपीलार्थी के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। इन तीन दस्तावेज़ों में प्रविष्टियों पर आयु प्रदर्श 2, प्रदर्श 8 और प्रदर्श 18।

21. पूरे साक्ष्य, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की जांच करने पर, हम इस स्थिति पर पहुंचते हैं कि याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं है कि अपीलार्थी बृज मोहन नामांकन पत्र दायर करने की तिथि पर 25 वर्ष से कम उम्र के थे। अपीलार्थी स्वयं भी यह नहीं दिखा सका कि उस तिथि को उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष थी। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता और यह विवादित नहीं है कि यह सिद्ध करने का भार कि नामांकन की तिथि पर अपीलार्थी की आयु 25 वर्ष से कम थी, याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी पर थी। याचिका जहां तक इस आधार पर आधारित है कि अपीलार्थी अपने नामांकन की तिथि पर 25 वर्ष से कम उम्र का था, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।"

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ***एआईआर 1988 एससी 1796*** में प्रकाशित ***बिरादमल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें पैरा संख्या 14 से 18 तक, इसे निम्नानुसार माना गया है:

"14. अब हम हुक्मी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की उम्र के प्रश्न पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करेंगे। प्रत्यर्थी ने अनंतराम शर्मा पी.ब्लू. 3 और कैलाश चंद्र तापड़िया पी.ब्लू. 5 से पूछताछ की अनंतराम शर्मा पी.ब्लू. 3 1984 से न्यू गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, जोधपुर के प्रिंसिपल हैं। स्कॉलर रजिस्टर के आधार पर उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि हुक्मी चंद ने 24-6-1972 को नौवीं कक्षा में स्कूल में प्रवेश लिया और उनकी स्कॉलर रजिस्टर में उल्लिखित जन्म तिथि 13-6-1956 थी। उन्होंने यह बयान स्कॉलर रजिस्टर में मौजूद प्रविष्टियों के

आधार पर दिया। 8. उन्होंने स्वीकार किया कि स्कॉलर रजिस्टर में प्रविष्टियाँ प्रवेश-पत्र में निहित प्रविष्टियों के आधार पर की जाती हैं। वह प्रवेश-पत्र की मूल प्रति या उसकी प्रति नहीं दिखा सका। उन्होंने कहा कि हुक्मी चंद को सरकारी मिडिल स्कूल, पलासानी, जहां से उन्होंने आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की थी, द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाणपत्र के आधार पर नौवीं कक्षा में प्रवेश दिया गया था। उन्होंने स्कॉलर रजिस्टर की कॉपी जारी करने वाले तत्कालीन प्रिंसिपल सत्य नारायण माथुर के हस्ताक्षर सिद्ध किए प्रदर्श 8 सत्य नारायण माथुर को जीवित माना गया था, लेकिन यह दिखाने के लिए उनकी जांच नहीं की गई कि उन्होंने किस आधार पर प्रदर्श 8 में हुकमी चंद की जन्मतिथि का उल्लेख किया था। अनन्तराम शर्मा के साक्ष्य से केवल यह सिद्ध हुआ कि प्रदर्श 8 विद्वानों के रजिस्टर में प्रविष्टियों की एक प्रति थी। उनकी गवाही से यह नहीं पता चलता कि हुक्मी चंद की जन्मतिथि संबंधी प्रविष्टि विद्वान रजिस्टर में किस आधार पर की गई थी। कैलाश चंद्र तापड़िया पी.ब्लू. 5 उप निदेशक (परीक्षा) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान थे, उन्होंने हुक्मी चंद भंडारी की माध्यमिक शिक्षा का काउंटरफ़ॉइल तैयार किया, जिसकी एक प्रति प्रदर्श 9 के रूप में दायर की गई है। उन्होंने माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 1974 के सारणीकरण रिकॉर्ड को भी प्रमाणित किया, जिसकी एक प्रति पूर्व के रूप में दायर की गई है। इन दोनों दस्तावेजों में हुकमी चंद की जन्मतिथि 13-6-1956 दर्ज थी। कैलाश चंद्र तापड़िया ने पूर्व को और भी सिद्ध कर दिया। 11 जो कि सूरज प्रकाश जोशी से संबंधित 1977 की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के सारणीकरण अभिलेख की प्रति है। उस दस्तावेज़ में सूरज प्रकाश जोशी की जन्मतिथि 11-3-1959 दर्ज थी. कैलाश चंद्र तापड़िया ने कहा कि जन्मतिथि जैसा कि प्रमाणपत्रों के काउंटरफ़ोइल और सारणीबद्ध प्रपत्र में उल्लिखित है। परीक्षा फॉर्म में अभ्यर्थी द्वारा अंकित जन्मतिथि के आधार पर 12 संख्या दर्ज किया गया था, लेकिन परीक्षा फॉर्म या उसकी कॉपी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी. उपरोक्त दो गवाहों के बयान से यह सिद्ध होता है कि विद्वान रजिस्टर के साथ-साथ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा रिकॉर्ड में एक निश्चित हुक्मी चंद की जन्म तिथि 13-6-1956 और माध्यमिक विद्यालय के सारणीबद्ध रिकॉर्ड में उल्लेखित थी। जांच में सूरज प्रकाश जोशी की जन्म तिथि 11-3-1959 बताई गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि उपरोक्त दस्तावेज हुक्मी चंद और सूरज प्रकाश जोशी से संबंधित थे जिन्होंने नामांकन पत्र दायर किया था। न तो प्रवेश-पत्र और न ही परीक्षा प्रपत्र जिसके आधार पर हुक्मी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्मतिथि से संबंधित उपरोक्त प्रविष्टियाँ दर्ज की गईं, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसमें कोई शक नहीं, प्रदर्श 8. 9, 10, 11 और 12 प्रासंगिक और स्वीकार्य हैं, लेकिन हुकमी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्मतिथि के प्रमाण के लिए इन दस्तावेजों का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है क्योंकि महत्वपूर्ण साक्ष्य गायब है, क्योंकि पहले कोई साक्ष्य नहीं रखा गया था। न्यायालय को यह

दिखाना होगा कि उपरोक्त दस्तावेज में हुक्मी चंद की जन्मतिथि और सूरज प्रकाश जोशी की जन्मतिथि किसकी जानकारी पर दर्ज की गई थी। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, न तो दोनों उम्मीदवारों के माता-पिता और न ही उनकी जन्मतिथि के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति की, उपरोक्त दस्तावेजों में उल्लिखित जन्मतिथि को सिद्ध करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा जांच की गई थी। किसी व्यक्ति की जन्मतिथि के बारे में बताने के लिए विशेष जानकारी रखने वाले माता-पिता या करीबी रिश्तेदार सबसे अच्छे व्यक्ति होते हैं।

यदि स्कॉलर रजिस्टर में जन्मतिथि के संबंध में प्रविष्टि माता-पिता या इस तथ्य का विशेष ज्ञान रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी पर की गई है, तो इसका संभावित मूल्य होगा। अनंतराम शर्मा और कैलाश चंद्र तापड़िया की गवाही केवल दस्तावेजों को सिद्ध करती है लेकिन उन दस्तावेजों की सामग्री सिद्ध नहीं हुई। स्कॉलर रजिस्टर में उल्लिखित जन्मतिथि का कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं है जब तक कि उस व्यक्ति की जांच नहीं की जाती जिसने प्रविष्टि की है या जिसने जन्मतिथि दी है। प्रवेश-पत्र या स्कॉलर रजिस्टर में शामिल प्रविष्टि को माता-पिता या संबंधित व्यक्ति की जन्मतिथि के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बनाया जाना चाहिए। यदि जन्मतिथि के संबंध में विद्वान रजिस्टर में प्रविष्टि माता-पिता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की जाती है, तो प्रविष्टि का साक्ष्यात्मक मूल्य होगा, लेकिन यदि यह किसी अजनबी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई है, जिसके पास तिथि जानने का कोई विशेष साधन नहीं है। जन्म के समय, ऐसी प्रविष्टि का कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं होगा। केवल इसलिए कि दस्तावेज़ प्रदर्श 8, 9, 10, 11 और 12 सिद्ध हो गए, इसका मतलब यह नहीं कि दस्तावेजों की विषयवस्तु भी सिद्ध हो गई। दस्तावेज़ों का मात्र प्रमाण प्रदर्श 8, 9, 10, 11 और 12 दस्तावेजों में बताई गई सभी सामग्रियों या जन्मतिथि की शुद्धता के प्रमाण के समान नहीं होंगे। चूंकि तथ्य की सत्यता, अर्थात् हुक्मी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्मतिथि विवाद में थी, उपरोक्त दो गवाहों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का प्रमाण मात्र तथ्यों या सामग्री की सत्यता का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है। दस्तावेज़. विवादग्रस्त तथ्यों की सच्चाई या अन्यथा, अर्थात्, दस्तावेजों में उल्लिखित दो उम्मीदवारों की जन्मतिथि को स्वीकार्य साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है, अर्थात उन व्यक्तियों के साक्ष्य से जो विवाद में तथ्यों की सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं। तथ्यों की सत्यता को सिद्ध करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा इस तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, अर्थात् हुक्मी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्म तिथि। इन परिस्थितियों में उपरोक्त दस्तावेजों में उल्लिखित जन्म तिथियों का कोई संभावित मूल्य नहीं है और उनमें उल्लिखित जन्म तिथियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

15. उच्च न्यायालय ने पूर्व में निहित प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था दी। 8, 9, 10, 11 और 12 अनंतराम शर्मा पी.ब्लू. 3 और कैलाश चंद्र तपारिया पी.ब्लू. 5 द्वारा सिद्ध किया गया, हुकमी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्मतिथि सिद्ध हुई और उस धारणा पर यह माना गया कि दोनों उम्मीदवारों ने अपनी जन्म तिथि पर 25 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर ली थी। नामांकन हमारी राय में उच्च न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 बताती है कि किसी भी सार्वजनिक, आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर, रिकॉर्ड में किसी मुद्दे पर तथ्य या प्रासंगिक तथ्य बताने वाली प्रविष्टि और एक लोक सेवक द्वारा देश के कानून द्वारा विशेष रूप से सौंपे गए अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में की गई प्रविष्टि अपने आप में प्रासंगिक तथ्य है। धारा 35 के तहत स्वीकार्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए, तीन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, सबसे पहले, जिस प्रविष्टि पर भरोसा किया जाता है वह सार्वजनिक या अन्य आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर या रिकॉर्ड में से एक होनी चाहिए; दूसरे, यह किसी विवादित तथ्य या प्रासंगिक तथ्य को बताने वाली प्रविष्टि होनी चाहिए; और तीसरा, इसे किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विशेष रूप से कानून द्वारा सौंपे गए कर्तव्य के निष्पादन में किया जाना चाहिए। स्कूल रजिस्टर में की गई जन्मतिथि से संबंधित प्रविष्टि अधिनियम की धारा 35 के तहत प्रासंगिक और स्वीकार्य है, लेकिन स्कूल रजिस्टर में किसी व्यक्ति की उम्र के संबंध में की गई प्रविष्टि का उस व्यक्ति की उम्र सिद्ध करने के लिए बहुत अधिक साक्ष्य मूल्य नहीं है। उस सामग्री का अभाव जिस पर उम्र दर्ज की गई थी। *राजा जानकी नाथ रॉय बनाम ज्योतिष चंद्र आचार्य चौधरी* [एआइआर 1941 कैल 41: 45 सीडब्ल्यूएन 141: 193 IC 419] मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मुकदमे में एक पक्ष की उम्र के बारे में स्कूल रजिस्टर में प्रविष्टि को खारिज कर दिया। आधार यह था कि यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था कि वादी की उम्र के बारे में रजिस्टर में प्रविष्टि किस सामग्री के आधार पर की गई थी। इस प्रकार निर्धारित सिद्धांत को देश के लगभग सभी उच्च न्यायालयों ने स्वीकार कर लिया है, देखें *जगन नाथ बनाम माली राम* [एआईआर 1951 पुंज 377], *सखी राम बनाम पीठासीन अधिकारी* [एआईआर 1966 पैट 459], *घांची वोरा सैमसुद्दिसन इसाभाई बनाम गुजरात राज्य* [एआईआर 1970 गुजरात 178] *और राधा किशन टिक्कू बनाम भूषण लाल टिक्कू* [एआईआर 1971 जेएंडके 62], इन निर्णयों के अलावा इलाहाबाद, बॉम्बे, मद्रास के उच्च न्यायालयों ने एक प्रविष्टि के संभावित मूल्य के प्रश्न पर विचार किया है। चुनावी मामलों में स्कॉलर रजिस्टर या स्कूल प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि के संबंध में। अदालतों ने लगातार माना है कि चोलर के रजिस्टर या माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का कोई संभावित मूल्य नहीं है जब तक कि माता-पिता की जांच नहीं की जाती है या जिस व्यक्ति की जानकारी पर प्रविष्टि की गई है, उसकी जांच

नहीं की जाती है, *जगदंबा प्रसाद बनाम देखें। जगन्नाथ प्रसाद,* [42 ईएलआर 465 (सभी एचसी)] *के. परमलाली बनाम आई.एम. अलंगम* [31 ईएलआर 401 (मैड एचसी)], *कृष्ण राव महरू पाटिल बनाम ओंकार नारायण वाघ* [14 ईएलआर 386 (बीओएम एचसी)]।

16. *बृज मोहन सिंह बनाम प्रिया ब्रत नारायण सिन्हा* (1965) 3 एससीआर 861 में, एक प्रश्न उठा कि क्या हारे उम्मीदवार ने नामांकन की तिथि पर 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी। उच्च न्यायालय ने निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव इस आधार पर रद्द कर दिया था कि नामांकन दायर करने की तिथि पर उसकी आयु 25 वर्ष से कम थी। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को इस आधार पर बरकरार रखा कि यह सिद्ध करने का भार कि नामांकित उम्मीदवार ने अपने नामांकन की तिथि पर 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी, चुनाव याचिकाकर्ता पर था और चूँकि वह यह सिद्ध करने में विफल रहा था, इसलिए हारे उम्मीदवार का चुनाव रद्द नहीं किया जा सकता था। इस न्यायालय ने माना कि एक अनपढ़ चौकीदार द्वारा बनाए गए जन्म रजिस्टर में उसके अनुरोध पर किसी और द्वारा दर्ज की गई प्रविष्टि स्वीकार्य नहीं थी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत इसका कोई संभावित मूल्य नहीं था। राम मूर्ति बनाम हरियाणा राज्य एआईआर 1970 एससी 1029 में स्कूल प्रमाणपत्र में उल्लिखित लड़की की जन्मतिथि को स्वीकार नहीं किया गया था। हालाँकि मो. इकराम हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1964 एससी 1925 इस न्यायालय ने स्कूल प्रमाणपत्र में उल्लिखित लड़की की जन्मतिथि को स्वीकार कर लिया क्योंकि उसमें उल्लिखित जन्मतिथि लड़की के पिता द्वारा दायर शपथ-पत्र द्वारा समर्थित थी।

17. अपीलार्थी को निर्वाचित घोषित किया गया क्योंकि उसे अधिकांश वैध वोट मिले थे। उनके चुनाव को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक प्रत्यर्थी-चुनाव याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हो गया कि हुक्मी चंद और सूरज प्रकाश जोशी ने नामांकन की तिथि पर 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी। उस तथ्य को सिद्ध करने का भार पूरी तरह से प्रत्यर्थी पर था और वह केवल दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके उस बोझ से छुटकारा नहीं पा सकता था और न ही उठा सकता था। 8, 9, 10, 11 और 12 या अनंतराम शर्मा पी.ब्लू. 3 और कैलाश चंद्र तापड़िया पी.ब्लू. 5 की मौखिक गवाही के आधार पर। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, ये दस्तावेज़ निर्णायक रूप से हुकमी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्मतिथि को सिद्ध नहीं करते हैं। विद्वानों के रजिस्टर और माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में शामिल जन्म तिथियों से संबंधित प्रविष्टियों का कोई संभावित मूल्य नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जानकारी पर स्कूल रिकॉर्ड में उपरोक्त उम्मीदवारों की जन्म तिथियों का उल्लेख नहीं किया गया था। कनेक्टिंग साक्ष्य के अभाव में, उपरोक्त दोनों उम्मीदवारों

की उम्र सिद्ध करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त दस्तावेजों में उल्लिखित जन्म तिथियों को स्वीकार करने में गंभीर त्रुटि की। हमारे विचार में जन्मतिथि के प्रश्न पर विचार करने में उच्च न्यायालय का संपूर्ण दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत था। मुद्दे में तथ्य, अर्थात् हुकमी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्मतिथि को सिद्ध करने का भार प्रत्यर्थी पर था जो चुनाव याचिकाकर्ता था। यदि उपरोक्त उम्मीदवारों की उम्र के प्रश्न पर अपीलार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तो प्रत्यर्थी सफल नहीं हो सकता है और उसके चुनाव को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि प्रत्यर्थी ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है कि प्रविष्टि में निहित है कि दो प्रत्याशियों की उम्र संबंधी मतदाता सूची गलत थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने अपने गवाहों की सूची में सूरज प्रकाश जोशी और उनके पिता मघदत्त जोशी का नाम गवाह के रूप में शामिल किया था, लेकिन उनसे पूछताछ नहीं की गई। इसी प्रकार, अपीलार्थी द्वारा हुक्मी चंद का भी हवाला दिया गया था, लेकिन उनसे भी पूछताछ नहीं की गई, बल्कि हुक्मी चंद के भाई नवरतन मल भंडारी से पी.ब्लू. 4 के रूप में जांच की गई और अपीलार्थी द्वारा घनश्याम छंगाणी से पी.ब्लू. 6 के रूप में जांच की गई, जिन्होंने अपीलार्थी के मामले का समर्थन किया कि हुकमी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की नामांकन तिथि को 25 वर्ष की आयु नहीं हुई थी। चूंकि अपीलार्थी ने हुकमी चंद, सूरज प्रकाश जोशी या उनके माता-पिता से पूछताछ नहीं की थी, इसलिए उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला। उच्च न्यायालय ने ऐसा करके गंभीर त्रुटि की। अपीलार्थी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि हुक्मी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की उम्र सिद्ध करने का भार चुनाव याचिकाकर्ता पर था और चूंकि वह ठोस साक्ष्य द्वारा इसे सिद्ध करने में विफल रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। अपीलार्थी. वास्तव में, प्रत्यर्थी पर अपने मामले को सिद्ध करने के लिए हुकमी चंद और सूरज प्रकाश जोशी, या उनके माता-पिता को स्कूल रजिस्टर और प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्म तिथियों को सिद्ध करने और पुष्टि करने का दायित्व था। यदि वह ऐसा करने में विफल रहा तो वह केवल इसलिए सफल नहीं हो सका क्योंकि अपीलार्थी ने उन्हें प्रस्तुत नहीं किया था। इन परिस्थितियों में हुक्मी चंद और सूरज प्रकाश जोशी या उनके माता-पिता की जांच नहीं करने के लिए अपीलार्थी के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था।

18. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर हमारी राय है कि उमराव बेन का नामांकन पत्र सही ढंग से खारिज कर दिया गया था और इसके अलावा प्रत्यर्थी यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि हुक्मी चंद और सूरज प्रकाश जोशी के पास संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार आवश्यक आयु योग्यता थी। इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उनके नामांकन पत्र को खारिज करना उचित था। इस दृष्टि से उच्च न्यायालय ने गलत

> तरीके से अपीलार्थी के चुनाव को रद्द कर दिया। हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं और चुनाव याचिका को खारिज करते हैं। अपीलार्थी उस लागत का पात्र है जिसे हम 5000 रुपये आंकते हैं।"

विद्वान अधिवक्ता ने **तारा देवी बनाम सुदेश चौधरी (1997) 2 आरएलआर 141** के मामले में इस कोर्ट की खंडपीठ द्वारा विश्वसनीय निर्णय दिया, जिसमें पैरा संख्या 9, 27 और 29 शामिल हैं, इसे अभिनिर्धारित किया गया:-

> **9.** इस अपील में निर्धारण के लिए केवल दो प्रश्न उठते हैं। ये हैं:-
>
> (क) क्या विद्वान एकलपीठ के पास संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत विद्वान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रायसिंह नगर द्वारा पारित 4 अक्टूबर, 1996 के निर्णय और डिक्री को रद्द करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था?
>
> (ख) क्या विद्वान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रायसिंह नगर ने यह निष्कर्ष निकालने में कोई त्रुटि की है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती सुदेश चौधरी ग्राम पंचायत 4. बी.एल.डी., श्री गंगानगर के सरपंच के रूप में चुनाव की तिथि पर आयु 21 वर्ष से कम थी?
>
> 27. विद्वान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रायसिंहनगर ने आवेदन पत्र को साक्ष्य में स्वीकार करने की गंभीर त्रुटि की है। 7 जो धारा 35 साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रासंगिक नहीं है। पूर्व के अलावा 7 को प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के पिता द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित सिद्ध नहीं किया गया है। इसलिए हमारी राय है कि दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करके 7 और प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता द्वारा विधिवत भरे और हस्ताक्षर किए बिना इस पर कार्रवाई करते हुए, विद्वान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रायसघिंगनगर ने एक त्रुटि की है, जिसे स्पष्ट त्रुटि माना जाना चाहिए।
>
> 29. इसलिए, हम इस आपत्ति में कोई बल नहीं पाते हैं कि विद्वान एकलपीठ के पास मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **श्रीमती उम्मेद कंवर बनाम प्रभु सिंह एवं अन्य 2012 (4) डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) 14** में प्रकाशित, के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया। जिसमें पैरा संख्या 24 और 25, इसे निम्नानुसार रखा गया है:-

> "24. अब प्रश्न यह है कि क्या ट्रायल कोर्ट ने मुद्दा संख्या 3 पर निर्णय करते हुए सही माना है कि प्रत्यर्थी के चुनाव को रद्द करने के परिणामस्वरूप, चुनाव याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत टिडोकी बड़ी तहसील

लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर के सरपंच के रूप में निर्वाचित घोषित होने का पात्र था। मुझे डर है कि इस प्रश्न पर ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष निरर्थक और बिना किसी कारण के है। अन्यथा भी यह स्थापित कानून है कि जहां उम्मीदवारों की बहुलता है, वहां हारे उम्मीदवार के चुनाव को रद्द करने से चुनाव याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता है, भले ही उसने चुनाव में दूसरे सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हों। इस संबंध में विश्वनाथन रेड्डी बनाम मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। कोनप्पा रुद्रप्पा नादगौड़ा और अन्य। (एआईआर 1969 एससी 6041)। उपरोक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि जहां एक ही सीट के लिए दो से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं, वहां निर्वाचित उम्मीदवार की अयोग्यता सिद्ध होने पर उसके पक्ष में डाले गए सभी वोटों को खारिज नहीं किया जा सकता है और उम्मीदवार को अगले सबसे अधिक वोट पाने वाले को निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार का दृष्टिकोण माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश खंड्रे बनाम डॉ. विजय कुमार खंड्रे एवं अन्य [(2002) 5 एससीसी 568] के मामले में अपनाया है। जहां माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोहराया है कि जहां एक सीट के लिए दो से अधिक उम्मीदवार हैं और निर्वाचित उम्मीदवार बाद में अयोग्य पाया जाता है, तो वह उम्मीदवार जिसने अन्य शेष उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वोट हासिल किए हैं निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि अयोग्य उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोटों को फेंका हुआ नहीं माना जा सकता है, न ही यह माना जा सकता है कि वे वोट दूसरे सबसे ज्यादा वोट पाने वाले अगले उम्मीदवार को मिले होंगे। यह माना गया है कि क्योंकि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि मतदाताओं ने किसके पक्ष में मतदान किया होगा, यदि उन्हें पता था कि निर्वाचित उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो नए सिरे से चुनाव कराना होगा। माननीय न्यायमूर्ति वी.आर. वटल नागराज बनाम कृष्णा अय्यर आर. दयानंद सागर (1975) 4 एससीसी 127) के मामले में अपनी अनूठी शैली में कहा है कि "अदालतें संसदीय सीटों पर उन उम्मीदवारों का चुनाव या हस्ताक्षर नहीं करती हैं जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र ने अभी तक पसंद नहीं किया है। सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आसानी से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। "चुनाव याचिकाकर्ता को न केवल चुनाव याचिका से, बल्कि स्वयं चुनाव भी जीतना होगा।" माननीय उच्चतम न्यायालय ने वटल नागराज (सुप्रा.) के उपरोक्त मामले में जमुना प्रसाद बनाम के मामले में अवलोकन को मंजूरी दे दी। लच्छी राम (एआईआर 1954 एससी 686) ने कहा कि "यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि क्यों पहले प्रत्यर्थी के अधिकांश मतदाताओं ने छठे प्रत्यर्थी को प्राथमिकता दी होगी और तीसरे और चौथे प्रत्यर्थीगण को नजरअंदाज किया होगा"। इस याचिका में भी यही मामला है.

25. प्रकरण के वर्तमान तथ्यों के अनुसार, प्रत्यर्थी उम्मेद कंवर ने दिनांक

> 22.01.2010 को ग्राम पंचायत टिडोकी बड़ी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर के सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा और 1748 वोट प्राप्त किये। इसमें कोई संदेह नहीं कि चुनाव याचिकाकर्ता को 1698 वोट मिले जबकि तीसरे उम्मीदवार को 60 वोट मिले। फिर भी तथ्य यह है कि मुकाबला एक बहुकोणीय मुकाबला था और उपरोक्त वर्णित कानून के मद्देनजर, केवल हारे उम्मीदवार के चुनाव को रद्द करने से, चुनाव याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता है।"

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **मुनिराजू गौड़ा पी.एम.** के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर भी भरोसा किया। **वी. मुनिरत्ना और अन्य। (2020)10 एससीसी 192, विश्वनाथ रेड्डी बनाम कोनप्पा रुद्रप्पा नादगौड़ा और अन्य** में प्रकाशित। **एआईआर 1969 एससी 604 और डी.के.शर्मा बनाम राम शरण यादव और अन्य में प्रकाशित। 1993 सप्लिमेंट (2) एससीसी 117 में रिपोर्ट की गई और श्रीमती** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया गया। **उम्मेद कंवर बनाम प्रभु सिंह एवं अन्य। (खंडपीठ विशेष अपील (रिट) संख्या 856/2012) दिनांक 30.07.2012** को निर्णय लिया गया।

प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद ने रिट याचिका का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि चूंकि यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा दायर की गई है, इसलिए इस न्यायालय के लिए हस्तक्षेप की गुंजाइश है। चुनावी विवादों का संबंध बहुत सीमित है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस रिट याचिका में दिए गए निर्णय को पारित करने में कोई प्रक्रियात्मक या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं की है और इस न्यायालय को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्यों की दोबारा देखने के लिए नहीं कहा जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि दूसरे और तीसरे बच्चे के जुड़वां होने को सिद्ध करने का भार निर्वाचित उम्मीदवार पर था, जो विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष इसे सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था जिसमें पुलिस ने जांच के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत किया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि हारा हुआ उम्मीदवार यह सिद्ध करने के लिए बच्चों के पिता को साक्ष्य में प्रस्तुत करने में विफल रहा कि दूसरा और तीसरा बच्चा एक ही इकाई है और आगे प्रस्तुत करता

है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने हारे उम्मीदवार के चुनाव को रद्द करते हुए सही निर्णय सुनाया है चुनाव याचिकाकर्ता को संबंधित ग्राम पंचायत के पद के लिए निर्वाचित सरपंच घोषित किया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि बहुकोणीय मुकाबले के मामले में नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश देने के संबंध में हारे उम्मीदवार के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय समन्वय पीठ के रूप में वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। श्रीमती के मामले में इस न्यायालय के उम्मेद कंवर (सुप्रा.) ने 1994 के अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों पर ठीक से विचार नहीं किया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि हारे उम्मीदवार डीडब्ल्यू-1 ने मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए अपने बयान में कहा है कि तीनों बच्चे अर्थात् दीनदयाल, राहुल और सचिन अलग-अलग पैदा हुए थे और प्रवेश-पत्र और एस.आर. संबंधित स्कूल के रजिस्टर से पता चलता है कि हारे उम्मीदवार के तीसरे बच्चे को कक्षा-1 में प्रवेश दिया गया था, जिसकी जन्म तिथि 19.05.2005 दिखाई गई है, इसके अलावा चुनाव याचिकाकर्ता ने तीसरे बच्चे का कक्षा-1 प्रवेश-पत्र भी जमा किया है। अर्थात सचिन और एस.आर. विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष रजिस्टर करें, जिसमें दर्ज की गई जन्म तिथि 19.05.2005 है और इसे पी.ब्लू.-4, जसवन्त राम सैनी, जो उक्त स्कूल में तत्कालीन शिक्षक थे, के साक्ष्य प्रस्तुत करके विधिवत सिद्ध किया गया था और इसके बारे में सिद्ध किया गया था। हारे उम्मीदवार के दूसरे और तीसरे बच्चे की जन्म तिथि। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि हारे उम्मीदवार राहुल और सचिन की दूसरी और तीसरी संतान ने क्रमशः दो वर्ष के अंतराल अर्थात वर्ष 2017 और 2019 में 10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की और इस प्रकार किसी भी कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता है कि हारे उम्मीदवार की दूसरी और तीसरी संतान एकल प्रसव से पैदा हुए जुड़वां बच्चे हैं, जबकि तथ्य यह है कि वे दोनों अलग-अलग इकाई हैं और इसलिए 1994 के अधिनियम की धारा 19 के खंड (ठ) के स्पष्टीकरण (ठ) के मद्देनजर विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा हारे उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया था और इन तथ्यों और परिस्थितियों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

दलीलों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **बी. कांथा रेड्डी बनाम मंडल**

विकास अधिकारी-सह-अतिरिक्त जिला चुनाव प्राधिकरण, मनोपद मंडल और हैदराबाद के माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया। अन्य (2005 का डब्लूपी संख्या 11229) 23.08.2005 को निर्णय लिया गया, जिसमें पैरा संख्या 24, इसे निम्नानुसार रखा गया है:-

> "24. मैं खुद को स्पष्ट कर दूं कि याचिकाकर्ता इस आधार पर अधिनियम की धारा 19(3) के प्रावधान का लाभ का दावा कर रहा है कि उसकी पत्नी ने 29-12-1994 को तीसरे बच्चे को जन्म दिया है। जब कोई व्यक्ति प्रावधान के तहत लाभ का दावा करता है, तो उसे यह सिद्ध करना होता है कि उसे अयोग्यता नहीं मिली है। यह तथ्य कि चुनाव की तारीख तक याचिकाकर्ता के तीन बच्चे थे, विवाद नहीं है। लेकिन, याचिकाकर्ता इस आधार पर प्रावधान के तहत लाभ का दावा करता है कि अंतिम बच्चा अधिनियम के शुरू होने के एक वर्ष के भीतर पैदा हुआ था। ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता को यह सिद्ध करना होगा कि वह अयोग्य नहीं हुआ है। मुझे यह सिद्ध करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए साक्ष्यों की जांच करने दीजिए कि चुनाव की तारीख पर उसे अयोग्यता नहीं मिली थी। रिट याचिकाकर्ता ने खुद को आर.डब्ल्यू.1 के रूप में जांचा और आर.एस. की जांच की। सुब्रमण्यम को R.W.2 के रूप में चिह्नित किया गया और प्रदर्श बी1 और बी2 को चिह्नित किया गया। प्रदर्श बी1 M.R.O द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र है। 27-7-2001 को. प्रदर्श बी2 जन्म रजिस्टर है। याचिकाकर्ता ने प्रदर्श बी1 और बी2 को R.W.2 के माध्यम से चिह्नित किया।"

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **निशिकांत घोष और अन्य** के मामले में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया। **बनाम कलकत्ता निगम, एआईआर 1953 कलकत्ता 401** में प्रकाशित, जिसमें पैरा संख्या 20, इसे निम्नानुसार रखा गया है:-

> "20. मुझे यहां प्रावधानों पर स्थापित श्री दत्त के एक संबंधित तर्क का उल्लेख करना चाहिए, विशेष रूप से, पुराने अधिनियम की धारा 406 का पहला प्रावधान और नए अधिनियम की धारा 461 के समान या संबंधित प्रावधान या प्रावधान। इस तर्क में, जो, हालांकि, आखिरी तक कायम नहीं रहा, अपीलार्थीगण ने इस दलील पर वर्तमान अभियोजन से सुरक्षा या प्रतिरक्षा का दावा किया कि अभियोजन निगम ने उक्त के आवेदन की संभावना को बाहर करने के लिए न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी है। इस मामले के प्रावधानों के अनुसार, उक्त दोनों धाराओं में से किसी के तहत कोई भी अपराध उनके द्वारा किया गया नहीं माना जा सकता है। अंतिम विश्लेषण में यह दलील उत्तरदायित्व का प्रश्न उठाती है, और संक्षेप में तर्क यह है कि पुराने अधिनियम की धारा 406 या नए की

धारा 161 के तहत सफल होने के लिए अभियोजन पक्ष को न केवल यह स्थापित करना होगा कि मामला मुख्य भाग की शरारत के अंतर्गत आता है। उक्त अनुभाग या धाराएं, लेकिन यह भी कि उसके प्रावधान अनुपयुक्त हैं। इस तर्क के लिए एक व्यापक प्रस्ताव पर भरोसा करने की मांग की गई थी कि सभी आपराधिक मुकदमों में अभियोजन पक्ष पर न केवल अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने का दायित्व है, बल्कि सकारात्मक रूप से चीजों की नकारात्मक स्थिति को दिखाने का भी दायित्व है, अर्थात् स्थितियां ऐसा करती हैं। अस्तित्व में नहीं है जो उसे (अभियुक्त को) कानून के तहत किसी भी सुरक्षा का पात्र बनाता। इस व्यापक तर्क से मैं सहमत होने में असमर्थ हूं। मैं यह मानने के लिए इच्छुक नहीं हूं कि जहां किसी क़ानून में दंडात्मक धाराओं के मुख्य भागों पर इस आशय के प्रावधान लगाए गए हैं कि कुछ शर्तों के तहत उक्त दंडात्मक भागों में उल्लिखित अपराध या अपराधों को प्रतिबद्ध नहीं माना जाएगा, तो जिम्मेदारी उन शर्तों की अनुपस्थिति या गैर-मौजूदगी दिखाने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है और किसी व्यक्ति को उक्त अपराध या अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले इस तरह के दायित्व का निर्वहन किया जाना चाहिए। मेरे विचार में, ऐसे प्रावधानों के संबंध में जिम्मेदारी अभियुक्त पर है और यह उसके लिए सकारात्मक रूप से शर्तों को स्थापित करने का काम है ताकि उक्त प्रावधानों को मामले में आकर्षित किया जा सके, और उनके लाभ उसे उपलब्ध कराए जा सकें। प्रावधान वास्तव में अभियुक्त को एक विशेष बचाव प्रदान करते हैं और यदि उक्त प्रावधानों के तहत अभियोजन को खारिज करना है तो इसे स्थापित करने की जिम्मेदारी उस पर है। इसी तरह का दृष्टिकोण इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 'रामेश्वर दास बनाम सम्राट' एआईआर 1936 सभी 86 (के) के मामले में लिया था, और मेरे पास इसकी शुद्धता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। मेरी यह भी राय है कि वर्तमान रिकॉर्ड की सामग्रियां इस मामले में दंडात्मक धारा या प्रासंगिक धाराओं के प्रावधानों में विचार की गई किसी भी शर्त के अस्तित्व के साथ असंगत हैं। मैं, तदनुसार, मानता हूं कि अपीलार्थीगण वैधानिक प्रावधानों की सुरक्षा के पात्र नहीं हैं, जिस पर इस तर्क के दौरान श्री दत्त द्वारा भरोसा करने की मांग की गई थी।"

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **श्री बालाजी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य** के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया। **(खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 16794/2017)** पर 25.10.2017 को निर्णय लिया गया, जिसमें पैरा संख्या 10, इसे निम्नानुसार रखा गया है: -

"10. इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुच्छेद के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार, उच्च

> न्यायालय को अपनी जांच में यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या नीचे के न्यायालय द्वारा कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की गई है और यह अपीलीय न्यायालय की तरह साक्ष्य की सराहना करते हुए फिर से तथ्यात्मक पहलुओं में नहीं जा सकता है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने माना है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का उपयोग संयमित रूप से और केवल उचित मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को उनके अधिकार की सीमा के भीतर रखने के लिए किया जाना है, न कि केवल त्रुटियों को सुधारने के लिए। आक्षेपित आदेश दि. 1-9-2017 को ऐसी कोई दुर्बलता नहीं है। यह जोड़ना भी उचित होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि 2015 के अधिनियम के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अंतरिम आदेशों की चुनौतियों से बचने के विधायी इरादे को दरकिनार किया जा सकता है, जहां संशोधन हैं विविध अपीलों में निषिद्ध और चुनौतियाँ वाणिज्यिक न्यायालय के आदेशों तक ही सीमित हैं जो आदेश XLIII नियम 1 सीपीसी के तहत अपील योग्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 227 का लापरवाही से सहारा लेने की अनुमति देना, अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट त्रुटि के बिना या न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देने वाले प्रकट अन्याय के लिए लागू किए गए आदेश को लागू किए बिना, विधायी इरादे को विफल करना होगा। याचिका में ऐसी किसी भी स्थिति या आधार का जिक्र नहीं किया गया है और न ही संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए दिनांकित आदेश के खिलाफ आवेदन करने का तर्क दिया गया है। 1-9-2017। धारा के तहत पहले न तो कोई पुनरीक्षण याचिका आयोजित की गई थी। 2015 के अधिनियम की धारा 8 और न ही धारा के तहत विविध अपील। 2015 के अधिनियम की धारा 13 आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत एक आवेदन की अस्वीकृति के आदेश के खिलाफ कायम है, हमारा विचार है कि यह याचिका/खंडपीठ अपील हर कल्पनीय तरीके से पूरी तरह से गलत दिशा में निर्देशित है।"

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **बिहार प्रांत बनाम भीम बेरा और अन्य** के मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया, जो **एआईआर (34) 1947 पटना 284** में प्रकाशित, जिसमें पैरा संख्या 6, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

> "6. दूसरे बिंदु के संबंध में, मैं मानता हूं कि विद्वान न्यायाधीश भी गलत थे। मुख्य नियंत्रक की लिखित अनुमति वाले व्यक्तियों को छूट देने वाले सरकारी आदेश के शब्दों को अपवाद के रूप में व्यक्त किया गया है - "मुख्य मूल्य और आपूर्ति नियंत्रक, बिहार की लिखित अनुमति को छोड़कर।" धारा 105 के तहत, साक्ष्य अधिनियम:

> "जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उस मामले को भारतीय दंड संहिता में किसी भी सामान्य अपवाद के भीतर, या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में निहित किसी विशेष अपवाद या प्रावधान के भीतर लाने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व को सिद्ध करने का भार होता है। या अपराध को परिभाषित करने वाले किसी भी कानून में, उस पर है, और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों की अनुपस्थिति का अनुमान लगाएगा।
>
> वर्तमान मामले में ऑपरेटिव शब्द "अपराध को परिभाषित करने वाले किसी भी कानून में निहित किसी विशेष अपवाद या प्रावधान के भीतर हैं।" वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां अपराध को परिभाषित करने वाले कानून में अपवाद निहित है, और धारा 105 में इस शब्द को ध्यान में रखते हुए बचाव पक्ष के लिए यह तर्क देना संभव नहीं है कि, चूंकि अपराध को अपवाद के अधीन परिभाषित किया गया है, इसलिए अभियोजन पक्ष को अवश्य ही ऐसा करना चाहिए। अपवाद की अनुपस्थिति सहित परिभाषित अपराध की पूरी शर्तों को सिद्ध करें। एम्परर बनाम दहयाभाई सवचंद ए.आई.आर. मामले में सर जॉन ब्यूमोंट सी.जे. और मैकलिन जे. के निर्णय में इस दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण अधिकार है। 1941 बम. 273।"

उभय पक्षों के अधिवक्ता सुने और रिकार्ड का अवलोकन किया।

इस न्यायालय ने पक्षों की ओर से प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों पर विचार किया है। चुनाव याचिकाकर्ता ने यह सिद्ध करने के लिए प्रदर्श-6 और प्रदर्श-7 अर्थात कक्षा-1 के प्रवेश फॉर्म पर भरोसा किया है कि रिटर्निंग उम्मीदवार के दूसरे और तीसरे बच्चे अलग-अलग पैदा हुए थे, जिनकी जन्म तिथि 20.06.2002 और 19.05.2005 दिखाई गई है। क्रमशः, जबकि हारे उम्मीदवार ने कक्षा 5 वीं प्रदर्श-एनए-6 और प्रदर्श-एनए-8 के दस्तावेज जमा किए हैं, जिसमें दूसरे और तीसरे बच्चे अर्थात् राहुल और सचिन की जन्म तिथि 20.08.2002 दिखाई गई है।

इस न्यायालय ने मुद्दे संख्या 1 और 2 पर विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निष्कर्ष पर विचार करते हुए डीडब्ल्यू-1 के बयान को भी देखा है, जो संबंधित बच्चों की मां है और हारे गए उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अर्थात आधार कार्ड पर भी विचार किया है। जनाधार कार्ड और कक्षा-10वीं की मार्कशीट के साथ-साथ एस.आर. रजिस्टर जिसमें राहुल और सचिन की जन्मतिथि 20.08.2002 दर्शाई गई है। डीडब्ल्यू-1, विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष दर्ज किए गए अपने बयान में लौटी उम्मीदवार ने कहा कि "मा र तथिनाओ बच्चच अलिग अलिग पना हहए

यार। "और उन्होंने आगे कहा कि "नथिनानयाली, रहहली और सदिचना अलिग अलिग पना हाहा यर।", इस प्रकार उनके कथन से यह स्पष्ट है कि अपने पिछले संस्करण से भटकते हुए उन्होंने अपने बाद के बयान में सुधार किया और कहा कि "सदिचना और रहहली जपुडवाँ पना हाहा यर।"।",

इस न्यायालय ने आगे पाया कि चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से हारे उम्मीदवार के दो बच्चों राहुल और सचिन की जन्मतिथि के संबंध में जमा किया गया कक्षा-1 का प्रवेश फॉर्म उक्त स्कूल के शिक्षक और उस दस्तावेज़ द्वारा विधिवत प्रमाणित है। विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष मुकदमे के दौरान हारे उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेजों के आधार पर यह एक विश्वसनीय दस्तावेज प्रतीत होता है। यह न्यायालय यह भी पाता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों का निष्कर्ष मां के साक्ष्य और बयान की उचित सराहना के आधार पर सही निष्कर्ष है, जिसने उक्त तीन बच्चों को जन्म दिया और वह हारे उम्मीदवार है और विद्वान के समक्ष कहा है ट्रायल कोर्ट ने कहा कि उसने अपने तीन बच्चों को अलग-अलग जन्म दिया है और इसके अलावा विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निष्कर्ष को इस तथ्य से भी समर्थन मिलता है कि दोनों बच्चों ने दो वर्ष के अंतराल के साथ अर्थात वर्ष 2017 में 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है। क्रमशः 2019, जो चुनाव याचिकाकर्ता के संस्करण का समर्थन करता है कि दोनों बच्चे दो वर्ष के अंतराल के साथ अलग-अलग पैदा हुए थे और इस प्रकार हारे गए उम्मीदवार के स्वयं के संस्करण के साथ-साथ दस्तावेजी साक्ष्य से यह पता चलता है कि सभी तीन बच्चे अलग-अलग इकाई हैं और थे एकल प्रसव से पैदा नहीं हुआ और इसलिए, मेरे सुविचारित विचार में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में मुद्दे संख्या 1 और 2 पर निष्कर्ष को सही तरीके से दर्ज किया है और हारे गए उम्मीदवार के खिलाफ मुद्दे संख्या 3 पर भी सही निष्कर्ष दिया है। इसलिए, मेरे विचार में यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को रद्द करने में कोई अवैधता की है।

जहां तक हारे उम्मीदवार की ओर से यह तर्क उठाया गया है कि क्या विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मुद्दा संख्या 5 पर निर्णय लेते समय चुनाव याचिकाकर्ता को निर्वाचित सरपंच ग्राम साईपुर पाखर, पंचायत समिति के रूप में घोषित करने का अधिकार रखने का अपना दृष्टिकोण सही था। महवा, तहसील मंडावर, जिला दौसा का संबंध है, मेरा मानना

है कि इस मुद्दे पर विद्वान ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष सही नहीं है और किसी भी उचित कारण से समर्थित नहीं है क्योंकि यह स्थापित कानून है कि जहां उम्मीदवार संख्या में एकाधिक हैं किसी चुनाव में, तो न्यायालय किसी रिटर्न्ड उम्मीदवार के चुनाव को रद्द करते समय चुनाव याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित नहीं कर सकती, भले ही उसने, जैसा भी मामला हो, चुनाव में दूसरा सर्वोच्च स्थान/वोट हासिल किया हो।

श्रीमती के मामले में इस मुद्दे पर इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है। **उम्मेद कंवर (सुप्रा.)** के साथ-साथ इस मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **श्रीमती उम्मेद कंवर बनाम प्रभु सिंह एवं अन्य (खंडपीठ विशेष अपील (रिट) संख्या 856/2012)** का निर्णय 30.07.2012 को हुआ, इसलिए, कानून के तय कानूनी प्रस्ताव के मद्देनजर, जैसा कि श्रीमती के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने माना है। **उम्मेद कंवर (सुप्रा.)** जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों पर भी भरोसा किया है, मेरा मानना है कि चुनाव याचिकाकर्ता को निर्वाचित सरपंच घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक बहु था कांटे की टक्कर और हारे उम्मीदवार के चुनाव को रद्द करने मात्र से चुनाव याचिकाकर्ता निर्वाचित घोषित होने का पात्र नहीं हो जाता, भले ही उसने चुनाव में दूसरा सर्वोच्च स्थान/वोट हासिल किया हो।

उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस रिट याचिका को निम्नलिखित तरीके से आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है:-

1. हारे उम्मीदवार के चुनाव को रद्द करने के विद्वान ट्रायल कोर्ट के दिनांक 25.05.2022 के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज की जाती है।

2. जहां तक चुनाव याचिकाकर्ता को ग्राम साईपुर पाखर पंचायत समिति महवा तहसील मंडावर जिला दौसा का निर्वाचित सरपंच घोषित करने के संबंध में आदेश दिनांक 25.05.2022 और 26.05.2022 में निहित निर्देश का संबंध है, इसे एतद्द्वारा रद्द किया जाता है और सेट किया जाता है।

3. परिणाम विधि के अनुसार पालन करना।

(इंद्रजीत सिंह), न्यायमूर्ति

Upendra Pratap Singh /162

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।